कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत।

Email-dfo_champawat@rediffmail.com

पत्रांक 4210 / 12-1 चम्पावत, दिनांक 2-6-2023

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

विषयः— जनपद–चम्पावत के विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत बिरमोला–रायल मोटर मार्ग का नव निर्माण प्रस्ताव संख्या **(FP/UK/ROAD/18062/2016)**

संदर्भः— भारत सरकार की पत्र संख्या 8बी/यू.सी.पी./06/118/2016/887 दिनांक 26.09.2022 एवं अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 चम्पावत की संख्या–1329/2सी0 दिनांक 17.03.2022 एवं पत्र संख्या 1395/2सी0 दिनांक 22.05.2023।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में जनपद चम्पावत में विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत बिरमोला–रायल मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून की पत्र सं0 8बी/यू.सी.पी/06/118/2016/एफ0सी0 /887 दिनांक 26.09.2022 द्वारा लगाई गई आपत्ति का निराकरण कर अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, चम्पावत द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध कराई गई है। जिसके आधार पर आख्या निम्नानुसार प्रेषित की जा रही है:—

क्र.स.	भारत सरकार द्वारा उल्लिखित बिन्दु	प्रतिउत्तर
1	राज्य सरकार द्वारा ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड की गई के0एम0एल0 फाईल के अवलोकन उपरान्त वैकल्पिक समरेखण अधिक उपयुक्त प्रतीत हो रहा है। अतः राज्य सरकार इस पर अपना स्पष्ट प्रतिवेदन प्रेषित करने का कष्ट करें।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि के0एम0एल0 फाईल के अवलोकन वैकल्पिक समरेखण अधिक उपयुक्त प्रतीत हो रहा है इस क्रम में अवगत कराना है कि क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति अनुसार प्रस्तावित समरेखण का ग्रेड विभागीय मानकों के अनुसार अधिक उपयुक्त है जिसमें पेडों का पातन भी कम होगा। इस हेतु वन भूमि प्रस्ताव गठन से पूर्व समरेखण प्रस्ताव विभागीय सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाता है। अतः तकनीकी दृष्टि से प्रस्तावित समरेखण (मानचित्र में लाल रंग दर्शाया गया है) अधिक उपयुक्त है एवं इसी अनुसार की वन भूमि प्रस्ताव गठित किया गया है।
2	राज्य सरकार वृक्षों की वर्तमान स्थिति एवं मार्ग की वर्तमान आवश्यकता को स्पष्ट करते हुये लगभग 3 वर्षो के विलम्ब के कारणों को स्पष्ट करते हुए जानकारी इस कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करें।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि विषयगत मार्ग 4 कि0मी0 की लम्बाई में मात्र 58 वृक्ष विभिन्न प्रजाति के प्रभावित हो रहे है जिसमें हरियाली घनत्व 0.3 है। साथ ही समय–समय पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल चयन करते हुए अग्रसारित किये जाते रहे है। प्रारम्भ में सिविल भूमि रखाव चयनित की गई थी जो कि जॉचों उपरान्त M.D.F/V.D.F. पाये जाने तदउपरान्त अवनत वन भूमि डुगाराबॉकू कं0न0–12 में चयनित की गई थी उक्त स्थल M.D.F पाया गया। पुनः नवीनतम स्थल उपलब्ध कराये जाने बावत खण्ड द्वारा लगातार पत्राचार किया जाता रहा, स्थल उपलब्ध होने उपरान्त स्थल का संयुक्त निरीक्षण करते हुए स्थल के जी0पी0एस0 प्राप्त कर आई0टी0 सेल देहरादून से मानचित्र आदि प्राप्त कर विभिन्न स्तरों से प्रतिहस्ताक्षर उपरान्त ऑनलाईन करते हुए अग्रसारित किये जाते रहे है, जिसमें समय लगना स्वाभाविक है।
3	सी0 ए0 क्षेत्र का डी0एस0एस0 विश्लेषण के उपरान्त चयनित अवनत भूमि में से 9.00 हे0 क्षेत्र Moderate Dense Forest के अन्तर्गत आ रहा है। जो कि मान्य नहीं है अतः राज्य सरकार से अनुरोध है कि सी0ए0 हेतु उपयुक्त भूमि का चयन कर इस कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करें।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव 2.643 हे0 होने के कारण क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु मात्र 5.286 हे0 क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल की आवश्यकता है, जिस हेतु इस कार्यालय का पत्रांक–3616/12–1 दिनांक 19.04.2023 द्वारा उपलब्ध कराये गये अवनत वन भूमि पूर्वी देवीधूरा धूनाघाट क0नं0– 25, 26 में 5.286 हे0 के मानचित्र, योजना, स्थल उपयुक्तता प्रमाण–पत्र तैयार कर पुनः संशोधित कर प्रेषित किये जा रहे है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार सूचना अपने स्तर से अपर प्रमुख एवं नोडल अधिकारी भूमि संरक्षण निदेशालय, देहरादून को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्नः— उपरोक्तानुसार 4 प्रतियों में।

भवदीय,

(हस्ताक्षर)

(आर.सी.काण्डपाल)
प्रभागीय वनाधिकारी,
चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत।

पत्रांक / दिनांकित।

प्रतिलिपिः— अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 चम्पावत को सूचनार्थ प्रेषित।

(हस्ताक्षर)

प्रभागीय वनाधिकारी,
चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत।